न्यायालय विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/ अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

फौजदारी वाद संख्या– 05/1997

सी.बी.आई. बनाम अवधेश कुमार

मु.अ.सं. 32(ए)/1996
अं.धारा– 120बी,420 भा.दं.सं.
थाना– सी.बी.आई./ए.सी.बी., लखनऊ

25.05.2017

निस्तारण प्रार्थनापत्र बी–1429 –

पत्रावली आज प्रार्थनापत्र बी–1429 पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र बी–1429 पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य/सी.बी.आई. की ओर से विद्वान लोक अभियोजक को कल दिनांक 24.05.2017 सुना जा चुका है।

अभियोजन/सी.बी.आई. की ओर से प्रार्थनापत्र बी–1429 दं.प्र.सं. की धारा– 91 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मूल मुकदमा संख्या– 04/1997 सी. बी.आई बनाम दुर्गेश कुमार सक्सेना में अभियोजन एजेन्सी सी.बी.आई. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संख्या– बी–3009 से बी–3011 को वर्तमान मुकदमे (वाद संख्या– 05/1997) में मूल या छायाप्रति के रूप में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये, जिससे कि संबंधित प्रपत्र को अभियोजन साक्षी से साबित कराया जा सके।

अभियुक्त की ओर से आपत्ति बी–1473 दि0. 24.05.2017 को प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बी–1429 निराधार है। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह नहीं बताया गया कि दस्तावेज संख्या– बी–3009 से बी–3011 इस पत्रावली हेतु किस प्रकार सुसंगत है। आपत्ति के माध्यम से अभियुक्त का कथन यह भी है कि प्रस्तुत मुकदमा 20 वर्ष पुराना है और इसमें 50 गवाह परीक्षित हो चुके हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा यह प्रार्थनापत्र मुकदमे को विलम्बित कराने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन गवाहों की परीक्षा हो चुकी है, उनसे दस्तावेज संख्या– बी–3009 से बी–3011 के सन्दर्भ में प्रतिपरीक्षा हेतु अभियुक्त को अवसर प्राप्त नही हो सकेगा। इस आधार पर अभियोजन का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही पंजीकृत की गयी है तथा अभियोजन पक्ष/सी.बी.आई. द्वारा मूल आरोपपत्र के साथ–साथ 33 पूरक आरोपपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। संबंधित मामला वर्ष 1992–93 में हुए आयुर्वेद घोटाले से संबंधित है। प्रस्तुत प्रकरण की समस्त पत्रावलियां एक दूसरे से संबंधित हैं।

दं.प्र.सं. की धारा– 91 न्यायालय को विशेष शक्ति प्रदान करती है कि जांच, विचारण के समय न्यायालय किसी भी वस्तु या दस्तावेज को तलब कर सकता है, जो सत्यता की जानकारी हेतु आवश्यक है। अतः न्यायालय जांच, विचारण के किसी प्रक्रम में ऐसी कोई वस्तु या दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश कर सकता है जो आवश्यक

प्रतीत होता हो।

उपरोक्त परिस्थितियों में मूल वाद संख्या– 04/1997 सी.बी.आई. बनाम दुर्गेश कुमार सक्सेना में प्रस्तुत दस्तावेज संख्या– बी–3009 से बी–3011 वर्तमान वाद में सत्यता की जानकारी हेतु आवश्यक है। दस्तावेज संख्या– बी–3009 से बी–3011 पर साक्षी द्वारा दिया जाने वाला साक्ष्य अभियुक्तगण की दोषिता निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण होगा। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बी–1429 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र बी–1429 स्वीकार किया जाता है। अभियोजन पक्ष को मूल वाद संख्या– 04/1997 सी.बी.आई. बनाम दुर्गेश कुमार सक्सेना के दस्तावेज संख्या– बी–3009 से बी–3011 को वर्तमान वाद संख्या– 05/1997 सी.बी.आई. बनाम अवधेश कुमार एवं अन्य में रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 12.06.2017 को पेश हो।

(डा0 लक्ष्मीकान्त राठौर),
विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
अपर सत्र न्यायाधीश,,लखनऊ ।